To

Divisional Forest Officer,
Dharamshala Forest Division,
Dharamshala, Distt.Kangra(H.P.)

Subject:- Diversion of 0.4189 ha. of Forest Land in favour of Himachal Pradesh Education Department, Department of Higher Education Lalpani, Shimla, HP, for the construction of Govt. Degree College Lanj, within the jurisdiction of DharamshalaForest Division, Distt. Kangra (H.P) (Online ProposalNo. FP/HP/Other/25573/2017).

Sir,

Please refer to the Govt. of India, MoEF&CC Integrated Regional Office, Shimla letter No. 8B/HP/09/08/2021/FC/183 dated 26.02.2021 on the subject cited above where in the "sanction in Principal" for diversion of 0.4189ha. of Forest Land has been accorded. In this regards, it is intimated that the amount of NPV Penal NPV and CA stands deposited in respective heads. The detail of same along with point wise reply of conditions of 'in-Principal' approval is as under:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्ते प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर

1.	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	प्रयोक्ताअभिकरणयहवचनबद्धताप्रस्तुतकरतीहैकि वन भूमि की विधिक स्थिति को परिवर्तित नही करेगी।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ताअभिकरणयहवचनबद्धताप्रस्तुतकरतीहैकि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाये।
3.	**प्रतिपूरकवनीकरणः** **(क)** प्रयोक्ता अभिकरण द्वाराप्रतिपूरक वनीकरणके लिए 840 पौधोंकारोपणकार्यएवं 10 वर्षोंतकरखरखावकीआवश्यकधनराशीजमाकीजाएगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि के बचें। राज्य शासन द्वारारोपणक्षेत्रकाविवरण, के०एम०एल०फाइल,नक्शाइत्यादिजानकारीइसकार्यालयमेंप्रस्तुतकीजाएगी।	**(क)**प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि में 840 पौधोंकेरोपणएवं 10 वर्षोंतकरखरखावकीआवश्यकधनराशी**Rs. 1,86,572/-** जमाकरादीगईहै।जहां तक व्यावहारिक हो सकेगा स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को ही लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि करने से बचाया जायेगा।
	(ख)वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	**(ख)**उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।
	(ग)क्योंकिप्रस्तावितक्षेत्रमेंपूर्वstructure दिखाईदेरहाहै । अतःराज्यसरकारनिर्देशितguideline para 1.21 (ii) केअनुसारFCA,1980 केउल्लंघनफलस्वरुपbroken area केलिए Penal NPV किनिर्धारितराशीकैम्पाकोषमेंonline web portal द्वाराप्रयोक्ता अभिकरण	**(ग)**Penal NPV किनिर्धारितराशी**Rs. 4,07,321/-**online web portal केमाध्यमसेजमाकरादीगईहै।

Principal,
G. C. Lanj

Dealing NA NA
NA NA
RANJIT KUMAR Supdt.

Scanned with CamScanner

	केमाध्यमसेजमाकरेगीजिसमें12% annual interest date/year of violation सेdeposit कियेजानेतककीतिथितकcalculate कियाजायेगा । एवं violation रिपोर्टभीइसकार्यालयमेंप्रेषितकीजाएगी।	
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। और प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त जो भी प्रावधान शामिल किए जाएगे प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होगा।
5.	**शुद्ध वर्तमान मूल्य:-** इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.0. 2002, 01.08,2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-4 /998-एफ.सी. (Pt.2). दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.0.2006 एवं 5-3 / 2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.4189 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रयोक्ताअभिकरणदवारा शुद्ध वर्तमान मूल्य कीनिर्धारितराशिरूपए**2,75,217/-**दिनांक:**-02-09-2021**कोलेनदेन संदर्भ संख्या **PUNBD21245004070**केमाधयमसेजमाकरवादीगयीहै। इ-चालानकीप्रतिसलंगनकीजातीहै।
	(ख).विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का एक शरापथपत्र प्रस्तुत करेगा|	**(ख)**.वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि जमा करवाने का प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ सलंगित है।
6.	राज्यसरकार animal passage plan कीआवश्यकताहेतु CWLW के comments प्रेषितकरेगी।	राज्यसरकार animal passage plan कीआवश्यकताहेतु CWLW के comments प्रेषितकरेगी।
7.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से ही सुनिश्चित किया गया है।
8.	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा I A No.3840 in WP (e) No.202/1995 मे वर्तमान में एफ.सी.ए. के तहत् भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि कं प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।	माननीयउच्चतमन्यायालय, नईदिल्लीद्वाराइसनिर्णयलियेजानेकेउपरान्तहीवनभूमिकेप्रत्यावर्तनहेतुजारीकिएजानेवालेस्वीकृतिआदेशप्रयोक्ताअभिकरणकोमान्यहोगा।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नही काटेजायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नही काटेजायेंगे।

Principal,
G. C. Lanj

Scanned with CamScanner

10.	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवो को कोई नुकसान नही पहुचाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवो को कोई नुकसान नही पहुचाया जायेगा।
11.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/)के माध्यम सेक्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण दवारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड की निर्धारित राशि Net Present Value (NPV) Rs.**2,75,217**/-. Penal NPV Rs. **4,07,321**/-, Compensatory Afforestation Rs. **1,86,572**/-, Contingency @ 5% on CA Rs. **9,329**/-only, Total=(**2,75,217+4,07,321+1,86,572+9,329**)=**8, 78,439**/दिनांक:-**02-09-2021**को लेनदेन संदर्भ संख्या **PUNBD21245004070** के माधयम से जमा करवा दी गयी है।इ-चालान की प्रति सलंगन की जाती है।
12.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्तकरेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
13.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है किकेंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।इस आशय की वचन बद्धतापत्र के साथस लंगित है।
14.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है किवन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।इस आशय की वचन बद्धता पत्र के साथ सलंगित है।
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसीअन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	केन्द्र सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत दी गयी सैधिनतिक शर्त प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होगा।
16.	संबंधितप्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्सद्वारासीमांकन किया जाएगा।जिसपर Forward/ Backward bearing & GPS Coordinates अंकितहों।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार,प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि परसीमांकन किया जाएगा।
17.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्तअन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्यएजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि केंद्र सरकार की पूर्वाचुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
19.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवंजलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस परकार्रवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नही किया जायेगा।
20.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समयपर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समयपर जो भी निर्धारित शर्तें लागू होंगी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पालन किया जायेगा।

Principal,
G. C. Lanj

Scanned with CamScanner

21.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तयसीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वाराउपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा।मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व,इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तयसीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वाराउपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा।मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व,इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र मेंवृक्षों की कटाई नही कि जाएगी।
22.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद // नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होतेहै तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	केन्द्रसरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980कीधारा-2 केतहत दी गयी सैधिनतिक शर्त प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होगा।
23.	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल(https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है किअनुपालनारिपोर्टई-पोर्टल(https://parivesh.nic/in/)पर अपलोड कर दी गयी है।

This is for your kind information and further action.

DA/- As above

Your Faithfully,

Principal,
Dovt. Degree College
Lanj, Distt. Kangra HP.

Scanned with CamScanner

DIVERSION OF 0-41-89 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE LANJ IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

File No.	: **FP/HP/Others/25573/2017**
Dateof Proposal	: 12 Jul 2017

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF ADDITIONAL NET PRESENT VALUE OF FOREST AREA

We, the user agency hereby undertake that we shall be abide to pay the Additional amount of Net Present Value (NPV) of the land if any increased in future as per the guidelines of Hon'ble Supreme Court of India.

Place :Lanj
Dated : 12/10/2021

Principal
Govt. Degree College,
Lanj, District Kangra

Scanned with CamScanner

DIVERSION OF 0-41-89 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE LANJ IN DISTRICT KANGRA (H.P.)	
File No.	: **FP/HP/Others/25573/2017**
Date of Proposal	: 12 Jul 2017

UNDERTAKING FOR STRIP PLANTATION

It is hereby undertaken that after the completion of the Project, strip plantation on both side of Project and Centre Verge will be done as and where possible on own cost of Education Departmentunder the supervision of Forest Department.

Place :Lanj
Dated : 12/10/2021

Principal
Govt. Degree College,
Lanj, District Kangra

Scanned with CamScanner

DIVERSION OF 0-41-89 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE LANJ IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

File No. : **FP/HP/Others/25573/2017**

Date of Proposal : 12 Jul 2017

UNDERTAKING FOR DUMPING SITE

It is hereby undertake that no muck will be disposed off at in open. No damage to the environment and forest land will be caused due to Project muck/debris and the land given in accommodate the surplus material arising out of the construction of the College Building will be sufficient.

Place :Lanj
Dated : 12/10/2021

Principal
Govt. Degree College,
Lanj, District Kangra

Scanned with CamScanner

DIVERSION OF 0-41-89 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE LANJ IN DISTRICT KANGRA (H.P.)	
File No.	: **FP/HP/Others/25573/2017**
Date of Proposal	: 12 Jul 2017

UNDERTAKING

It is hereby undertaken that the diversion of forest land will be made after the decision of Hon'ble Supreme Court.

Place :Lanj
Dated : 12/10/2021

Principal
Govt. Degree College,
Lanj, District Kangra

Scanned with CamScanner

DIVERSION OF 0-41-89 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE LANJ IN DISTRICT KANGRA (H.P.)	
File No.	: **FP/HP/Others/25573/2017**
Date of Proposal	: 12 Jul 2017

UNDERTAKING TO SUPPLY THE FUELWOOD TO LABOURS

We, the User Agency hereby undertake that fuel wood to the labour will be provided through the H.P State Forest Development Corporation Depots or any other legal source of supply of fuel wood.

Place :Lanj
Dated : 12/10/2021

Principal
Govt. Degree College,
Lanj, District Kangra

Scanned with CamScanner

DIVERSION OF 0-41-89 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE LANJ IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

File No. : **FP/HP/Others/25573/2017**

Date of Proposal : 12 Jul 2017

UNDERTAKING NOT TO ESTABLISH LABOUR CAMPS

We, the User Agency hereby undertake that no labour camp will be established on Forest Land.

Principal
Govt. Degree College,
Lanj, District Kangra

Place :Lanj
Dated : 12/10/2021

Scanned with CamScanner

DIVERSION OF 0-41-89 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE LANJ IN DISTRICT KANGRA (H.P.)	
File No.	: **FP/HP/Others/25573/2017**
Date of Proposal	: 12 Jul 2017

UNDERTAKING NOT TO CHANGE LAYOUT PLAN

We, the User Agency hereby certify that the Layout Plan for construction of Govt. Degree College Lanjwill not be changed without prior approval from Central Government.

Place :Lanj
Dated : 12/10/2021

Principal
Govt. Degree College,
Lanj, District Kangra

Scanned with CamScanner

DIVERSION OF 0-41-89 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE LANJ IN DISTRICT KANGRA (H.P.)	
File No.	: **FP/HP/Others/25573/2017**
Date of Proposal	: 12 Jul 2017

UNDERTAKING

We, the User Agency hereby certify that according to the proposal, no trees of any kind will be cut in the forest land during the construction of Govt. Degree College Lanj.

Place :Lanj
Dated : 12/10/2021

Principal
Govt. Degree College,
Lanj, District Kangra

Scanned with CamScanner

DIVERSION OF 0-41-89 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE LANJ IN DISTRICT KANGRA (H.P.)	
File No.	: **FP/HP/Others/25573/2017**
Date of Proposal	: 12 Jul 2017

UNDERTAKING

We, the User Agency hereby certify that, Forest land will not be used for any purpose other than those specified in the project proposal.

Place :Lanj
Dated : 12/10/2021

Principal
Govt. Degree College,
Lanj, District Kangra

Scanned with CamScanner

DIVERSION OF 0-41-89 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE LANJ IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

File No.	: **FP/HP/Others/25573/2017**
Date of Proposal	: 12 Jul 2017

UNDERTAKING

We, the User Agency hereby certify that,

The proposed forest land will not be transferred to any other agencies, department.

Place :Lanj

Dated : 12/10/2021

Principal
Govt. Degree College,
Lanj, District Kangra

Scanned with CamScanner

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-09-2021

Agency Name.	DIRECTOR OF HIGHER EDUCATION
Application No.	19925573288
MoEF/SG File No.	8B/HP/09/08/2021/FC
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address.	DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION, LALPANI SHIMLA, HPShimla
Amount(in Rs)	878439/-

Amount in Words :Eight Lakh Seventy-Eight Thousand Four Hundred and Thirty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1507019925573288 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Principal,
G. C. Lanj

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-09-2021

Agency Name.	DIRECTOR OF HIGHER EDUCATION
Application No.	19925573288
MoEF/SG File No.	8B/HP/09/08/2021/FC
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address:	DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION, LALPANI SHIMLA, HP Shimla
Amount(in Rs)	878439/-

Amount in Words :Eight Lakh Seventy-Eight Thousand Four Hundred and Thirty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1507019925573288 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

2/9/21

Scanned with CamScanner

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK
(Sponsored by Punjab National Bank)
IFS Code PUNB0HPGB04 DHARAMSHALA
मांगे जाने पर ON DEMAND PAY

Issuing Branch
IFSC PUNB0HPGB04

(Valid for Three Months तीन माह के लिए वैध)

2	9	0	4	2	0	2	
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये Rupees **Thirty Four Thousand Two Hundred Eighty Three only**

प्राप्त मूल्य के लिए अदा करें
For Value received

OT	TT	OL	TL	शाखा क्रम संख्या Branch Sr. No.	0009/2021

₹ **34,283.00**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NOT OVER RS 34283/-

Purchaser: PRINCIPAL GOVT DEGREE COLLEGE LANJ

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Authorised Signatory
Code No
PF 7859

Please Sign above

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Authorised Signatory
Code No.

D.No. 3813
Drawee Branch DHARAMSALA FINACLE

HD FINACLE -

⑈121877⑈ 000828000⑆ 16

Principal,
G. C. Lanj